

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,  
अनु सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 20 मई, 2016

विषय: जनपद-रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य के अंतर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.10, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कर्षों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-813/1जी-FP/UK/ROAD/11055/2015, दिनांक 09 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें:-

1. बाँज प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। वन ही वन संरक्षक की स्थलीय रिपोर्ट संलग्न है। बाँज वृक्ष प्रभावित होने पर वन संरक्षक स्थलीय रिपोर्ट आवश्यक है।
2. संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की ऑन-लाईन अपलोड सूची पठनीय नहीं है तथा इस पर वन विभाग की संस्तुति/हस्ताक्षरित नहीं है।
3. भाग-3 व भाग-4 को हस्ताक्षरित कर ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।
4. नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न0 व क्षेत्रफल का विवरण अंकित नहीं है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।

भवदीय,

*Akhilash*

(अखिलेश मिश्रा)

अनु सचिव।

संख्या: 1295 (1) / X-4-15 / 1(477) / 2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग, चमोली।

आज्ञा से,

*Akhilash*

(अखिलेश मिश्रा)

अनु सचिव।